न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 08/2016 (75 एल. आर. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2016/00023

उनवान

ग्राम वासियान खानुआ जरिये लाल खॉ पुत्र मगता खॉ जाति गद्दी मुसलमान निवासी खानुआ तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर, भरतपुर।

..... रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय दिनांक 07.11.2008 प्रकरण संख्या राजस्व/12/2/(49) 08/168 जिला कलक्टर, भरतपुर।

अभिभाषकगण :–

1. अधिवक्ता अपीलांट श्री तालेराम उपस्थित ।
2. रैस्पो0 अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक–10.08.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि जिला कलक्टर, भरतपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.11.2008 से ग्राम खानुआ तहसील रूपवास स्थित आराजी खसरा नम्बर 369 रकवा 01 बीघा 18 विस्वा किस्म राजकीय कस्टोडियन बंजड कदीम को राजस्थान भू राजस्व अधिनिययम 1956 की धारा 92 के तहत ग्राम खानुआ के कब्रिस्तान हेतु आरक्षित करने एवं आराजी खसरा नम्बर 1108 लगायत 1119 किता 12 रकवा 02 बीघा 01 विस्वा भूमि किस्म गैर मुमकिन कब्रिस्तान को राजकीय सिवायचक घोषित करने के आदेश पारित किये गये। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। वक्त बहस रैस्पो0 की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अतः बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिये कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 369 रकवा 01 बीघा 18 विस्वा, जो कि किस्म राजकीय कस्टोडियन बंजड है एवं खसरा नम्बर 1108 लगायत 1119 किता 12 रकवा 02 बीघा 01 विस्वा, राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन कब्रिस्तान दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.11.2008 से खसरा नम्बर 369 कस्टोडियन कब्रिस्तान को सुरक्षित रखा है तथा 1108 लगायत 1119 को कब्रिस्तान से राजकीय सिवायचक घोषित किया है। जबकि कस्टोडियन भूमि को धारा 92 के तहत सेटअपआउट नहीं किया जा सकता है अतः अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध होने के कारण काबिल खारिजी है। धारा 92 भू राजस्व अधिनियम कस्टोडियन भूमि पर लागू नहीं होती है। कस्टोडियन भूमि के लिए जो कार्यवाही होती है वह एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इवेक्यू एण्ड डीपी एक्ट के तहत होती है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायायल ने ग्राम पंचायत से कोई राय नहीं ली गयी है एवं ना ही ग्राम पंचायत से कोई प्रस्ताव ही मॉगा है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। सर्वप्रथम मिंयाद के बिंदु पर विचार करना अपेक्षित है। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन निर्णय न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर दिनांक 07.11.2008 के विरूद्ध यह अपील दिनांक 28.06.2016 को लगभग 08 वर्ष पश्चात इस न्यायालय में धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है। मियाद के सम्बन्ध में अपीलांट का कथन है कि पटवारी हल्का के बतलाने पर दिनांक 19.06.2016 को जानकारी हुई और नकल प्राप्त की, जानकारी की दिनांक और नकल मिलने से अपील अन्दर मियाद शुमार करने की प्रार्थना की है, परन्तु अपीलाण्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.11.2008 की जानकारी ना होने की परिस्थितियॉ, प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में स्पष्ट नहीं किया है। अपीलांट ग्राम वासियो का यह कथन कि उनमें से किसी को भी अपीलाधीन आदेश की जानकारी लगभग आठ वर्ष तक नही हुई, सत्यभासी नहीं है। यह सही है कि उचित कारण होने पर विलम्ब को क्षमा करते हुए, अपील पर सुनवााई की जा सकती है। परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में 07 वर्ष 07 माह 21 दिन की सुदीर्घ विलम्ब का कोई सारपूर्ण कारण नही है। इस स्थिति में विलम्ब को क्षमा करना न्यायिक प्रावधानों का दुरूपयोग होगा। अतः मिंयाद के बिंदु पर अपीलाण्ट को कोई लाभ नहीं पहुॅचाता है। अपीलांट की अपील स्पष्ट रूप से मियाद बाहर है।

5. अपीलाण्ट ने हस्तगत अपील, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी के तहत इस न्यायालय में यह कहते हुए प्रस्तुत की गयी है कि अपीलाण्ट ग्राम खानुआ के निवासीगण हैं। उनके विवादित आराजी में हित निहित हैं एवं अपीलाण्ट ग्राम वासी अपीलाधीन आदेश से परिवेदित है। परन्तु अपीलाण्ट ने उक्त प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह अपीलाधीन आदेश से किस प्रकार परिवेदित है। इस प्रकार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलांट का विवादित भूमि में हित स्पष्ट नहीं होता है। लिहाजा प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार योग्य नहीं है।

6. इसके अलावा अपीलाण्ट लाल खॉ स्वयं को ग्राम वासियान खानुआ का प्रतिनिधि कहता है। किन्तु प्रतिनिधि नियुक्ति का कोई अधिकार पत्र एवं अन्य दस्तावेजी साक्ष्य, उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, अतः अपील चलने योग्य नहीं है।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सार्वजनिक उपयोग हितार्थ जारी आदेश के विरूद्ध, असम्बंध व अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा मियाद बाहर प्रस्तुत अपील चलने योग्य नहीं है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

8. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर के आदेश दिनांक 07.11.2008 यथावत रखे जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

9. निर्णय आज दिनांक 10.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official